# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 70/2015**

रामेश्वर गर्ग **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर।

2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, Bhinder.

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 12.01.2015

**आदेश की दिनांक** : 29.01.2024

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री प्रकाश शर्मा, अभिभाषक

**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : श्री जगन्नाथ खांण्डपा, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 23.12.2014 को अपास्त फरमाया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत अडिन्दा पंचायत समिति, भिंडर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था और सोलर स्ट्रीट लाईट प्रशासनिक स्वीकृति जारी अपीलार्थी द्वारा की गई। उसके द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों स्वीकृतियां सोलर स्ट्रीट लाईट की सरपंच द्वारा जारी की गई और उक्त लाईट लगाने का डीजीएस एवं डी रेट कांट्रेक्ट अडिन्दा ग्राम पंचायत में आदेश दिनांक 13.12.2013 के द्वारा मैसर्स मिहिर सोलर को दिया गया, जिसकी सूचना ग्राम सेवक द्वारा जिला परिषद, उदयपुर को पत्र दिनांक 16.09.2014 के द्वारा दी गई। उक्त लाईटें खुली निविदा से क्रय नहीं किए जाने और निर्धारित क्षमता एवं मानकों से क्रय किए जाने तथा बाजार दरों से ऊंची दरों पर क्रय किए जाने से नियमों का उल्लंघन बताते हुए तथा जांच करवाये जाने उपरांत सोलर स्ट्रीट लाईटों के क्रय में अनियमितता पाई जाने पर ग्राम सेवक

पदेन सचिव एवं सरपंच से राशि वसूल कर जमा किए जाने का आलोच्य आदेश जारी किया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। जबकि अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सुनवाई का प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई मौका नहीं दिया गया और बिना अवसर दिए अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आलोच्य आदेश जारी किए गए जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य वसूली आदेश दिनांक 23.12.2014 को अपास्त फरमाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने ग्राम पंचायत अडिन्दा और सारंगपुरा के सरपंच एवं सचिव ने बिना किसी अनुदान स्वीकृति और बिना कोई वित्तीय स्वीकृति, कपोलकलपित कोटेशनों के नाम पर बिना कोई निविदाएं आमंत्रित किए सचिव एवं सरपंच ने क्रय कमेटी के बिना ही अपने स्वयं के स्तर से स्ट्रीट लाईट स्थापित किए जाने की कार्यवाही करते हुए वित्तीय अनियमितताएं एवं राजकोष को क्षति पहुंचाई है, जिसके आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत अडिन्दा पंचायत समिति, भिंडर का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था और सोलर स्ट्रीट लाईट प्रशासनिक स्वीकृति जारी अपीलार्थी द्वारा की गई। जहां तक अपीलार्थी के विरूद्ध वित्तीय अनियमितताओं एवं राजकीय कोष को क्षति पहुंचाए जाने के आधार पर वसूली आदेश जारी किए जाने का प्रश्न है, हम अपीलार्थी के इस तर्क से सहमत हैं कि अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वसूली का आदेश जारी किया गया है। न्यायिक दृष्टांत 2013(1) डब्ल्यू.एल.सी. (राज) 423 सागरमल जैन बनाम राजस्थान राज्य जिसमें नरेगा के कार्यों में अनियमितता के कारण भुगतान की वसूली बिना सुनवाई का अवसर दिए किया जाना उचित नहीं माना है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी से वसूली किए जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार हम यह आदेश देना उचित समझते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी के वेतन से वसूली किए जाने से

पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावे एवं पूर्ण अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् ही वसूली के संबंध में न्याय संगत आदेश पारित किया जावे। तब तक वसूली की कार्यवाही नहीं की जावे।

उपरोक्त आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**